राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,राजस्थान, जयपुर
फोन न. 0141–2221463, Email ID: uhcrajasthan@gmail.com

F-42(8)/NHM/HWC/2018/ 3540 दिनांक :– 23/7/18

::– आदेश ::–

दिनांक 20 जुलाई 2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया एवं मिशन निदेशक महोदय की उपस्थिति में MoHFW के साथ राज्य में 225 केन्द्र (100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 100 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 25 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) को वैलनेस केन्द्र में 15 अगस्त 2018 से पूर्व परिवर्तित करने हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये गये जिसकी पालना संबंधित के द्वारा तुरन्त प्रभाव से की जानी है। भारत सरकार के द्वारा इन सभी केन्द्रो का 11 अगस्त को वर्चुवल उद्धाटन किया जाना प्रस्तावित है। अतः सभी कार्य 9 अगस्त 2018 से पूर्व पूर्ण किया जाना है।

1. चयनित 225 केन्द्रों पर ब्राण्डिंग एवं रंग–रोगन तय समय सीमा (9 अगस्त 2018) में होना सिविल विंग के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। विडियों कॉन्फ्रेन्स में हुई चर्चा के अनुसार सर्कल्स के आकार आवश्यकतानुसार परिवर्तित किये जा सकते है एवं स्थान की उपलब्धता के अनुसार सर्कल्स को समायोजित किया जा सकता है। इस कार्य का पर्यवेक्षण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को साप्ताहिक रूप से सूचित करेगें। **(जिम्मेदारी – अधिक्षण अभियन्ता, सिविल विंग एनएचएम मुख्यालय)**
2. चयनित 225 केन्द्रों पर NCD गतिविधियां तुरन्त प्रभाव से शुरू करवायें। इन सभी केन्द्रो पर NCD Application डाउनलोड कर इसमें डाटा प्रविष्ठि करवाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में हुई प्रगति से एसपीओं NCD प्रत्येक दूसरे दिन राज्य कार्यक्रम प्रबंधक को कार्य की प्रगति से अवगत करवायेगें। **(जिम्मेदारी – राज्य नोडल अधिकारी, NCD)**
3. चयनित 225 केन्द्रों पर RNTCP गतिविधियां तुरन्त प्रभाव से शुरू करवायें। इन सभी केन्द्रो पर NIKSHAY Application डाउनलोड कर इसमें डाटा प्रविष्ठि करवाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में हुई प्रगति से राज्य कार्यक्रम प्रबंधक को कार्य की प्रगति से अवगत करवायेगें। **(जिम्मेदारी – राज्य नोडल अधिकारी, RNTCP)**
4. संलग्न सूची के अनुसार सभी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों पर जो औषधियां राज्य की EDL में उपलब्ध हैं एवं शेष 125 केन्द्रों (PHC/UPHC) पर उनके लिए राज्य EDL में निर्धारित औषधियां की उपलब्धता सुनिश्चित करवायी जानी है। इसके अतिरिक्त Antihypertensives, Antidiabetics, Antiepileptics (to start with, based on number of patients in HWC area) की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी है। **(जिम्मेदारी – राज्य नोडल अधिकारी MNDY)**
5. संलग्न सूची के अनुसार 7 तरह की जॉच सुविधाएं स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों पर एवं 15 (MNJY list) तरह की जॉच सुविधाएं PHC एवं UPHC केन्द्रों पर उपलब्ध कारवाई जाना सुनिश्चित किया जाना है। सूची में वर्णित में से शेष रही जॉचे संबंधित CHC/SDH/DH पर हब के रूप में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। **(जिम्मेदारी – राज्य नोडल अधिकारी MNJY)**
6. राज्य के चयनित 25 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं योग प्रशिक्षक के माध्यम से योगा (Wellness) गतिविधियां किया जाना सुनिश्चित की जानी है। **(जिम्मेदारी – सलाहकार, शहरी स्वास्थ्य मिशन)**
7. 629 स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों को IT से जोड़ने हेतु टैबलेट क्रय कर उपलब्ध करवाना है एवं चयनित 225 केन्द्रो पर 15 अगस्त से पूर्व उपलब्ध करवाना है। **(जिम्मेदारी – सलाहकार, IT)**
8. चयनित 225 केन्द्रों के प्रगति पर्यवेक्षण चैकलिस्ट के साथ राज्य स्तर पर नियुक्त जिला प्रभारी के द्वारा किया जाएगा जिसकी साप्ताहिक रिर्पाटिंग H&WC Cell में प्रस्तुत की जायेगी। इन जिलों में 30 से 31 जुलाई के मध्य भ्रमण कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना है जिसका आदेश अलग से जारी किया जायेगा। **(जिम्मेदारी – राज्य नोडल अधिकारी** H&WC)।
9. राज्य स्तर जारी H&WC के संबंधित आदेश क्रमांक 3057, 3237, 3405 की पालना सुनिश्चित किया जाना। **(जिम्मेदारी – समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक)**।

(नवीन जैन)
शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0
एवं मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. निजी सहायक, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान।
5. निजी सहायक, निदेशक,जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
6. निजी सहायक, निदेशक–आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
7. मुख्य अभियन्ता, सिविल विंग एनएचएम, मुख्यालय जयपुर।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम राजस्थान।
9. सभी संबंधित अधिकारी, पालनार्थ।
10. सर्वर प्रभारी कक्ष को ई–मेल हेतु।
11. रक्षित पत्रावली हेतु।

23/1/17

(डॉ.जलज विजय)
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक,
एन.एच.एम.राजस्थान